

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/98/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021/219

अपीलार्थी  
श्रीमती राज पत्नि श्री महेन्द्रलाल,  
नि0 मकान नं. 343, सेक्टर नं.4,  
पंचकुला (हरियाणा)

बनाम

प्रत्यर्थी  
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)


प्रवेश तिथि :: 27.12.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 17.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 449/290, ग्राम-हाजनाका के खेल मैदान हेतु आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व 84/393-393 दिनांक: 15.09.2004 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 16.12.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांक: 10.01.2022 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई-मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया व अपील के संबंध में स्मरण-पत्र भी जारी कर जवाब प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गंभीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदन के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 17.09.2021 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम के विधिक प्रावधानों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
7. अस्तु अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 17.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत सूचना यदि उपलब्ध कराई जाने की श्रेणी में हो तो उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत-पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।



(वन्दना खोरवाल)

अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर